

आदेश की
क्रम संख्या
एवं तारीख

आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर

आदेश पर की
गई कार्रवाई के
बारे में टिप्पणी
तारीख सहित

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड,
राँची के पत्रांक-157(2)/रा०, दिनांक-11.01.2018 एवं
पत्रांक-332/रा०, दिनांक-24.01.2020 के द्वारा निदेश है कि बिहार
टेनेन्ट्स होल्डिंग्स (मेनटेनेन्स ऑफ रेकार्ड्स) एक्ट, 1973 की
धारा-16 के अन्तर्गत सिमिजन वाद में सुनवाई करने की शक्ति अपर
समाहर्ता को प्रदत्त नहीं है। इसके लिए जिला समाहर्ता (Collector)
को शक्ति प्रदत्त है।

अतः उक्त पत्र के आलोक में इस वाद को सुनवाई हेतु
जिला समाहर्ता (Collector) गढ़वा को भेजे।

अपर समाहर्ता,
गढ़वा।